

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

बमुकद में ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :- रमेश देव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 205/2023

वादपत्र अं. धारा 88,53 आर.टी.ए.



सूर्य प्रकाश पुत्र श्री साहबराम जाति जाट निवासी दीनगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

वादीगण

बनाम्

1. कैलाश पत्नी औम प्रकाश जाति जाट निवासी दीनगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. जिन्म उर्फ मल्लिका पुत्री अभिमन्यु जाति जाट निवासी दीनगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. नन्दा पुत्र नामक (फौत)
- 3/1 ओमप्रकाश सहू उर्फ डेनी पुत्र रामकुमार पुत्र नन्दा जाति जाट निवासी दीनगढ़।
4. नरेन्द्र कुमार पुत्र राम कुमार जाति जाट निवासी दीनगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
5. नीरू पत्नी रणधीर सिंह जाति जाट निवासी दीनगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
6. महावीर पुत्र मनफूल जाति जाट निवासी दीनगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
7. सरदारा पुत्र लखू (फौत)
- 7/1 विजेन्द्र पुत्र दुर्गादत्त पुत्र सरदारा जाति जाट निवासी दीनगढ़ तहसील संगरिया।
8. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक:-03.06.2023

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ रमेश देव आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री प्रेम चंद भारद्वाज वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री विनोद कुमार प्रतिवादीगण 1 व 5 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है एव तहसीलदार भू.अ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:-

चक 15 बीजीपी के खाता संख्या 87/23 में कुल 3.668 है. में मोके पर कब्जा काशत की भूमि:-

1. कैलाश पत्नी औमप्रकाश, नीरू पत्नी रणधीर सिंह जाति जाट सा. दीनगढ़ बहिब पं.नं. 180/148 मु.नं. 13 किला नं. 6/1/0.228 है. 6/2/0.025 गैरमु खाला, 7/0.253, 15/1/0.228, 15/2/0.025 गैरमु खाला है. 16/1/0.228, 16/2/0.025 है. गैरमु खाला 25/1/0.228 25/2/0.025 गैरमु खाला, प.नं. 181/148 मु.नं. 12 किला नं. 8/0.253 है. 9/1/0.076 9/2/0.051 10/0.253 11/0.253 12/1/0.101 12/2/0.025 13/0.253 17/0.253 18/0.202 19/0.177 23/0.164 24/0.253 है.

नहरी/बारानी प्रथम।

प्रमाणन 20/6/23 संग अभियान 2023
शिविर प्रभारी (BDO)
शिविर स्थल... दीनगढ़

2. सुर्यप्रकाश पुत्र श्री साहबराम जाति जाट निवासी दीनगढ प.नं. 181/149 मु.नं. 25 किला नं. 3/2/0.013 गैरमु खाला, 3/3/0.076 कुल 0.089 है. नहरी/ बारानीं प्रथम।

अतः उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार भू.अ.संगरिया के पत्र क्रमांक:-प्रा.डिक्री/भू.अ./14 दिनांक 03.06.2023 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिग्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज..........मुब्लिक..........बाबत..........खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक..........को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 03.06.2023 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।



2/3/2023

(रमेश देव)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया (SDO)
शिवावर स्थल, दीनगढ